न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2008
प्रविष्टि दिनांक 31.01.2008

सरकार जरिए तहसीलदार निवाई

—प्रार्थी

बनाम

1—तेजा भारती चेला गंगा भारती जाति गुंसाई निवासी नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक
2—प्रबंधक अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री पवन जैन, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय दिनांक17.01.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार निवाई द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। नामान्तकरण संख्या 1979 दिनांक 20.08.1998 वाके ग्राम नटवाडा कुल किता 27 रकबा 109 बीघा 13 बिस्वा भूमि का तस्दीक किया गया है। उक्त भूमि अवैधानिक रूप से मन्दिर के नाम से कम की जाकर श्री गंगा भारती चेला धन्ना भारती जाति गुंसाई के नाम की गई है। तहसीलदार निवाई ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त नामान्तकरण की गई भूमि का परिवर्तन वापसं माफी मन्दिर श्री बद्रीनाथ जी विराजमान नटवाडा के नाम लगाने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार है उसे अपनी भूमि के संबंध मे हर प्रकार के उपयोग एंव उपभोग करने के अधिकार प्राप्त है,क्योकि उक्त भूमि कभी भी मूर्ति के नाम नही थी।मन्दिर मूर्ति नही होती है। इस भूमि बाबत कलेक्टर टोंक से गंगा भारती के नाम मातमी मे दिये जाने की सिफारिश की गई थी, कलेक्टर टोंक ने 116 बीघा 3 बिस्वा जमीन मातमी मे दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 09.04.1956 को दिया था,जिससे यह भूमि गंगा भारती के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई है। दिनांक 08.10.1996 को एक वसीयतनामा द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 उत्तरदाता के नाम की गई। गंगा भारती के स्वर्गवारा के बाद यह समस्त जगीन तेजा भारती के नाम वसीयत से नामान्तकरण संख्या 1979 दिनांक 20.08.1998 से अंकित की गई है,तब से तेजा भारती उत्तरदाता प्रतिपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार एंव काबिज है। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 09.04.1956 को एक बार इस भूमि के मातमी करार देने का जो फैसला दिया उसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय मे किसी ने निगरानी या अपील नही की। इस कारण रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त के कारण यह रेफरेंस चलने योग्य नही है। इसी सन्दर्भ मे न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी टोंक के यहां एक रिसीवरी का केस का फैसला हुआ था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट नं.2 जयपुर मे की गई थी, जिन्होने उपखण्ड अधिकारी टोंक के फैसले को बहाल रखा था,जिसके विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी की गई थी जहां से रिसीवरी के आदेशो को निरस्त कर दिनांक 09.12.1978 को मिसल उपखण्ड अधिकारी टोंक को भिजवाई गई। उक्त केस मे राजस्व मण्डल अजमेर ने गंगा भारती को मालिक खातेदार माना है। इस प्रकार गंगा भारती जमीन का मालिक था जिससे जरिये वसीयत अपने चेले तेजा भारती को अपना वारिस बनाया है। तहसीलदार निवाई द्वारा पूर्व मे दिनांक 05.05.1999 को न्यायालय हाजा मे रेंफरेंस प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण संख्या 174/1999 है जिसका निर्णय दिनांक 22.06.2001 को किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त रेंफरेस को गलत माना है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेंफरेंस निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्तियां एंव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. दिनांक 27.05.2004 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 16.12.2004 को खारिज किये जाने के उपरान्त अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.12.2007 से निगरानी खारिज कर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 16.12.2004 को यथावत रखा गया है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 1979 दिनांक 20.08.1998 वाके ग्राम नटवाडा कुल किता 27 रकबा 109 बीघा 13 बिस्वा भूमि का तस्दीक किया गया है। उक्त भूमि अवैधानिक रूप से मन्दिर के नाम से कम की जाकर श्री गंगा भारती चेला धन्ना भारती जाति गुंसाई के नाम की गई है चूकिं उक्त भूमि भू–प्रबंध खतोनी वर्ष 2011 से 2030 मे माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री बद्रीनाथ जी व अह तमाम पुजारी गंगा भारती चेला धन्ना भारती कोम गुंसाई सा देह मु. कदीम थी। अतः उक्त नामान्तकरण की गई भूमि का परिर्वतन वापस माफी मन्दिर श्री बद्रीनाथ जी विराजमान नटवाडा के नाम लगाने हेतु यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को प्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि तहसीलदार निवाई ने नामान्तकरण संख्या 1979 दिनांक 20.08.1998 का रेंफरेस प्रस्तुत किया गया है। विवादित नामान्तकरण मन्दिर माफी भूमि का ना होकर विरासत का नामान्तकरण है। विरासत के नामान्तकरण का रेंफरेस तहसीलदार निवाई द्वारा नही किया जा सकता है। नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति पत्रावली मे नही है। कोर्ट मेन्यूअल के अनुसार नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए थी अन्यथा कोर्ट से अनुमति लेकर फोटो प्रति प्रस्तत की जा सकती है। कोर्ट से इस बाबत अनुमति नही ली गई है। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार है उसे अपनी भूमि के संबंध मे हर प्रकार के उपयोग एंव उपभोग करने के अधिकार प्राप्त है,क्योकि उक्त भूमि कभी भी मूर्ति के नाम नही थी।मन्दिर मूर्ति नही होती है। विवादित भूमि बाबत कलेक्टर टोंक से गंगा भारती के नाम मातमी मे दिये जाने की सिफारिश किये जाने के फलस्वरूप भूमि गंगा भारती के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई है। दिनांक 08.10.1996 को एक वसीयतनामा द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 उत्तरदाता के नाम किया गया।गंगा भारती के स्वर्गवास

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

के बाद यह समस्त जमीन तेजा भारती के नाम वसीयत के कारण जरिये नामान्तकरण संख्या 1979 दिनांक 20.08.1998 से अंकित की गई है,तब से तेजा भारती उत्तरदाता प्रतिपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार एंव काबिज है। न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 09.04.1956 से इस भूमि के मातमी करार देने का जो फैसला दिया है,उसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय मे किसी ने निगरानी या अपील प्रस्तुत नही की है। इस कारण रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त के कारण यह रेफरेंस चलने योग्य नही है। इसी सन्दर्भ मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के यहां एक रिसीवरी का केस का निर्णय हुआ था जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट नं.2 जयपुर मे किये जाने पर न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोंक के निर्णय को बहाल रखे जाने के फलस्वरूप राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की गई जहां से रिसीवरी के आदेशो को केन्सिल कर दिनांक 09.12.1978 को मिसल उपखण्ड अधिकारी टोंक को भिजवाई गई थी। उक्त प्रकरण मे राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने गंगा भारती को मालिक खातेदार माना है। इस प्रकार गंगा भारती जमीन का मालिक था। जरिये वसीयत अपने चेले तेजा भारती को अपना वारिस बनाया गया है। तहसीलदार निवाई द्वारा पूर्व मे भी इस बाबत न्यायालय हाजा मे रेंफरेंस किये जाने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.06.2001 से रेंफरेस को गलत माना है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान आर.आर.डी 2019 पेज 715,188,आर.बी.जे 2013 पेज 262, आर.बी.जे 2014 पेज 400, आर.बी.जे 2018 पेज 225,633 उद्वरित किये है।

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1979 दिनांक 20.08.1998 वाके ग्राम नटवाडा कुल किता 27 रकबा 109 बीघा 13 बिस्वा भूमि का तस्दीक किया गया है। राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि उक्त भूमि अवैधानिक रूप से मन्दिर के नाम से कम की जाकर श्री गंगा भारती चेला धन्ना भारती जाति गुंसाई के नाम की गई है तथा गंगा भारती की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तकरण से गंगा भारती के स्थान पर तेजा भारती के नाम दर्ज की गई है जो गलत है। विवादित भूमि भू–प्रबंध खतोनी वर्ष 2011 से 2030 मे माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री बद्रीनाथ जी व अह तमाम पुजारी गंगा भारती चेला धन्ना भारती कोम गुंसाई सा देह मु. कदीम थी।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि नामान्तकरण संख्या 1979 दिनांक 20.08.1998 वाके ग्राम नटवाडा खातेदार गंगा भारती चेला धन्ना भारती कोम गुंसाई सा.देह खातेदार के फोत होने पर तेजा भारती चेला गंगा भारती कोम गुंसाई के नाम तस्दीक किया गया है,उक्त नामान्तकरण के समय भूमि मन्दिर के नाम दर्ज नही होकर गंगा भारती के नाम दर्ज थी। अतः गंगा भारती के फोत होने पर फोतेदारी नामान्तकरण संख्या 1979 दिनांक 20.08.1998 सही रूप से तेजा भारती के पक्ष मे तस्दीक किया गया है। अतः उक्त नामान्तकरण का रेंफरेंस स्वीकार करने का कोई आधार नही है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात से यह तो साबित होता है कि भूमि भू–प्रबंध खतोनी वर्ष 2011 से 2030 मे माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

Scanned by CamScanner

बद्रीनाथ जी व अह तमाम पुजारी गंगा भारती चेला धन्ना भारती कोम गुंसाई सा देह मु. कदीम के नाम दर्ज थी,परन्तु उक्त इन्द्राज से सिर्फ गंगा भारती के नाम बतौर खातेदार इन्द्राज किस प्रकार हुई तथा किस जमाबंदी चौसाला मे हुई इसका उल्लेख रेंफरेंस मे नही किया गया है तथा नही तदनुरूप गंगा भारती के अकेले मे किये गये इन्द्राज को अवैधानिक घोषित करवाने हेतु इस्तदुआ की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि तहसीलदार निवाई प्रकरण मे जांच कर पुनः प्रकरण यदि रेंफरेंस योग्य बनता हो तो वह न्यायालय मे सम्पूर्ण दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलक्टर,टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.03 16:12:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: